राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 202503091000022 अ/62 वर्ष 2024-25

(1)	(2)	(3)
21 .03.2025	प्रकरण पेश। सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी बागनदी एवं राजस्व निरीक्षक खोभा से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त, अवलोकन किया। आवेदक एशिया पिता कांडे, जाति गोंड, निवासी ग्राम चाबुकनाला, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव द्वारा ग्राम चाबुकनाला, प.ह.नं. 01, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव स्थित अपने शामिलात भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 2/3 रकबा 1.169 हेक्टेयर में स्थित 15 नग रोपित सागौन वृक्ष को कटाई करने हेतु अनुमति प्रदान करने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में संलग्न संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन एवं पंचनामा के अनुसार आवेदित स्थल का सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, वन विभाग के कर्मचारी एवं ग्रामवासी की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर स्थल निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण पंचनामा दिनांक 13.01.2025 को तैयार कर प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार आवेदक की ग्राम चाबुकनाला, प.ह.नं. 01, स्थित भूमि स्वामी हक की खसरा नंबर 2/3 रकबा 1.169 हेक्टेयर में स्थित 10 नग सागौन वृक्ष का गणना किया गया है। खसरा नंबर 2/3 रकबा 1.169 हेक्टेयर के अनुक्रमांक 4, 5, 6, 9 सुखा कुल 04 नग सागौन वृक्ष को कटवाना उचित प्रतीत होना बताया गया है। आवेदित वृक्षों की कटाई वन विभाग की देख-रेख में होने से अवैध कटाई की संभावना नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है। आवेदित भूमि जिस पर वृक्ष खडे है, वन विभाग की भूमि से नहीं लगी हुई है। काटे जाने हेतु प्रस्तावित वृक्ष की परिपक्वता का सत्यापन वन विभाग के द्वारा किया गया है। काटे जाने हेतु प्रस्तावित वृक्ष को काटने की अनुमति प्रदान किये जाने से छ.ग. के जनजातियों के संरक्षण (वृक्षों के हित में) अधिनियम 1999-2000 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रकरण में अधीनस्थों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया। अतएव अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत	

प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित अनुसार आवेदक एशिया पिता कांडे, जाति गोंड, निवासी ग्राम चाबुकनाला, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव को ग्राम चाबुकनाला, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव स्थित अपने शामिलात भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 2/3 रकबा 1.169 हेक्टेयर के अनुक्रमांक 4, 5, 6, 9 सुखा कुल 04 (चार) नग सागौन वृक्ष को काटने की अनुमति छ.ग.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 के तहत निम्न शर्तो पर दी जाती है :-

1. छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ अभिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी वृक्षो की कटाई कर सकेगा। सक्षम अनुज्ञा की प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक अभिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकडी का मूल्य परिगणित करते हुए, कुल मूल्य का 95 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 05 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जायेगी। जमा राशि से, प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 05 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा।
2. आवेदक वृक्ष कटाई के 15 दिवस पूर्व तहसीलदार छुरिया एवं वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव को लिखित में सूचना देगा। वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में अनुमति प्राप्त वृक्षों की कटाई की जावेगी।
3. काटे जाने हेतु प्रस्तावित वृक्ष काटने की अनुमति प्रदान किये जाने से छ.ग.आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999 एवं छ.ग. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम 1999, 2000 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
4. आवेदक द्वारा आवेदित भूमि खसरा नंबर 2/3 रकबा 1.169 हेक्टेयर के अनुक्रमांक 4, 5, 6, 9 सुखा कुल 04 (चार) नग सागौन वृक्ष को वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की

उपस्थिति में कटाई उपरांत वन विभाग को सौंपेगा। आवेदक द्वारा अनुमति प्राप्त कुल 04 (चार) नग सागौन वृक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई भी वृक्ष की कटाई करेगा, तो अवैध वृक्ष की कटाई का प्रकरण तैयार कर तहसीलदार छुरिया के माध्यम से भेजी जावे। प्रकरण में प्रस्तुत संयुक्त स्थल निरीक्षण पंचनामा/वृक्षों की सूची को पारित आदेश का अभिन्न अंग माना जावेगा।

यह अनुमति 24/03/2026 तक प्रभावशील रहेगी।

पारित आदेश की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु सर्व संबंधितों को भेजी जावे। तद्उपरांत प्रकरण नस्तीबद्ध कर आर.आर. दाखिल किया जावे।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
डोंगरगांव
जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)